**न्यायालयः अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला पाली।**

**पीठासीन अधिकारीः मोक्षदा नांदड़, आर.जे.एस.**

**फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या(सी.आई.एस.नं.):2162/2018**

**सीएनआर नंबर -RJPL150031412018**

निर्णय दिनांक : 06-08-2026

सीआईएस नंबर : 2162/2018

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 102/2018

अन्तर्गत धारा : 447, 323 भारतीय दंड संहिता

**अभियोगी** :

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।

**बनाम**

**अभियुक्त** - उत्तम सिंह

| | |
|---|---|
| परिवादी | प्रहलादसिंह |
| परिवादी अधिवक्ता | ----- |
| प्रस्तुतकर्ता | प्रहलादसिंह |
| अभियुक्त का नाम व पता | उत्तम सिंह पुत्र नारायण सिंह, निवासी दुजाना, सांडेराव, जिला पाली। |
| अधिवक्ता अभियुक्त | श्री हनवंत सिंह राणावत |

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण**

| | |
|---|---|
| अपराध की तिथि | 09-07-2018 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि | 16-07-2018 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि | 29-10-2018 |
| आरोप विरचित किए जाने की तिथि | 29-10-2018 |
| साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि | 29-10-2018 |

| | |
|---|---|
| निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि | 06-08-2026 |
| निर्णय की तिथि | 06-08-2026 |
| दण्ड दिये जाने की तिथि(यदि हो तो) | ...... |

## **::अभियुक्त का विवरण::**

| अभियुक्त की क्रम संख्या | अभियुक्त का नाम | गिरफतारी की दिनांक | न्यायालय में जमानत की तिथि | अभियुक्त के आरोप का विवरण | दोषसिद्ध या दोषमुक्त | दिये गये दंड का विवरण यदि कोई हो तो | धारा -428 द.प.स के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | उत्तमसिंह | ---- | 29-10-2018 | 447, 323 भारतीय दंड संहिता | धारा 447, 323 भा दं.सं.में दोषमुक्त | - | - |

## **::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय गवाह सूची::**

### क. अभियोजन गवाहान

| क्रम सं. | अभियोजन साक्षी का क्रम | बयान दिनांक | गवाह का नाम | पुनः बयान दिनांक | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पीडब्ल्यू 1 | 07-11-2022 | अशोक कुमार | | घटनास्थल मौतबीर |
| 2. | पीडब्ल्यू 2 | 07-11-2022 | धन्नाराम | | गवाह |
| 3. | पीडब्ल्यू 3 | 07-11-2022 | पारस कंवर | | चश्मदीद गवाह |
| 4. | पीडब्ल्यू 4 | 24-09-2024 | भंवरसिंह | | घटनास्थल मौतबीर |
| 5. | पीडब्ल्यू 5 | 25-03-2025 | प्रहलादसिंह | | ताईद एफ.आई.आर. |
| 6. | पीडब्ल्यू 6 | 22-01-2026 | श्यामबिहारी | | एक्सरे खींचना |
| 7. | पीडब्ल्यू 7 | 01-07-2026 | मूलाराम | | कायमी मुकदमा, तफ्तीशी हालात |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | पीडब्ल्यू 8 | 16-07-2026 | डॉ पवन कुमार | | आईआर देना व एक्सरे राय देना |

## ख. बचाव गवाह

| साक्षी का क्रम | गवाह का नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| - | - | - |

## **::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श सूची::**

## क. अभियोजन

| क्रम सं. | प्रदर्श मार्क | दस्तावेजो की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श पी 01 | फर्द नक्शा-मौका |
| 2. | प्रदर्श पी 02 | गवाह धन्नाराम के पुलिस बयान |
| 3. | प्रदर्श पी 03 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 4. | प्रदर्श पी 04 | परिवादी प्रहलादसिंह का चोट प्रतिवेदन |
| 5. | प्रदर्श पी 05 | गवाह भैरूसिंह का एक्सरे कवर नोट |
| 6. | प्रदर्श पी 06 | एक्सरे प्लेट भैरूसिंह |
| 7. | प्रदर्श पी 07 | चॉक एफआईआर |
| 8. | प्रदर्श पी 08 | एक्सरे रिपोर्ट |

## ख. बचाव

| क्रम सं. | प्रदर्श मार्क | दस्तावेजो की प्रकृति |
|---|---|---|
| - | - | - |

## ग - भौतिक वस्तुएं

| क्रम सं. | प्रदर्श मार्क | दस्तावेजो की प्रकृति |
|---|---|---|
| - | - | - |

**-निर्णय-** **दिनांक - 06-08-2026**

**01.** यह प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय पाली के कार्यालय आदेश क्रमांक 37, दिनांक 12-07-2021 की पालना में श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय सुमेरपुर के न्यायालय से अंतरित होकर इस न्यायालय को सुनवाई हेतु दिनांक 08-11-2021 को प्राप्त हुआ।

**02.** प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16-07-2018 को परिवादी प्रहलाद सिंह की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक पाली के कार्यालय से धारा 154(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना सांडेराव में इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थी का मकान ग्राम दुजाना में महाजनों के बास में आया हुआ स्थित है। प्रार्थी के सामने प्रार्थी द्वारा करीब 30 साल पूर्व 13 फीट बाई 8 फीट का एक चबूतरा बना हुआ है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 06-07-2018 को उत्तम सिंह पुत्र गुमानसिंह ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के कब्जाशुदा चबूतरे पर दरवाजा खोलने की कोशिश की, तब प्रार्थी ने मना किया तो उत्तम सिंह प्रार्थी के साथ लड़ाई-झगड़ा करने लगा। तत्त समय उत्तम सिंह ने कार्य बंद कर दिया, परंतु दिनांक 09-07-2018 को सुबह करीब 5.00 बजे प्रार्थी जब अपने मकान में सोया हुआ था, तब उत्तमसिंह की पत्नी ने जोर-जबरदस्ती अपने मकान के पीछे की तरफ उसका कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थी के कब्जाशुदा, निर्माणशुदा चबूतरे पर दरवाजा खोल दिया। प्रार्थी सुबह 6.30 ए.एम. पर बाहर आया, तब प्रार्थी ने देखा। प्रार्थी ने अपने उक्त 13 फीट बाई 8 फीट के निर्माणशुदा चबूतरे का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 12-07-2017 को ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया एवं तत्कालीन ग्रुप सचिव ने प्रार्थी को पट्टा आवेदन शुल्क की 120 रुपये की रसीद जारी की। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभी ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु विचाराधीन है, परंतु उत्तम सिंह द्वारा जोर जबरदस्ती प्रार्थी के कब्जाशुदा, निर्माणशुदा चबूतरे पर कब्जा करने की नीयत से अपने मकान के पीछे की तरफ बिना किसी हक अधिकार के दरवाजा खोल दिया। प्रार्थी ने दिनांक 09-07-2018 को सुबह 8.00 बजे अपने कब्जाशुदा चबूतरे पर खड़ा रहकर जब उत्तम सिंह को इस बारे में ओलबा

दिया तो मुलजिम उत्तमसिंह ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के कब्जाशुदा चबूतरे में प्रवेश कर प्रार्थी के साथ धक्का-मुक्की की और प्रार्थी के दाहिने हाथ पर लकड़ी से मारी, जिससे प्रार्थी के दाहिने हाथ की कलाई पर चोट आई, तब हो-हल्ला सुनकर प्रार्थी की पत्नी व पुत्री ने बीच-बचाव कर प्रार्थी को छुड़ाया अन्यथा उत्तमसिंह प्रार्थी के साथ ज्यादा मारपीट करता.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सांडेराव में प्र.सू.रि.सं. 102/2018 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 447 व 323 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**03.** अभियुक्त के विरूद्ध धारा 447 व 323 भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को अपराध अतंर्गत धारा 447 व 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन-समझकर आरोप से इंकार करते हुए अन्वीक्षा चाही।

**04.** दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजो को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

**05.** अभियुक्त के कथन अपराध अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने के कथन किए तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

**06.** बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है, इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दी जावे। इसके विपरीत दौराने विद्वान् अधिवक्ता-अभियुक्त का तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में ऐसा एक भी प्रलेखीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे कि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त लगे आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जा सके। अभियुक्त को झूठा फंसाया है। अभियोजन की

ओर से प्रस्तुत साक्ष्य-सामग्री के समग्र अवलोकन से अभियोजन का मामला पुष्ट नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया जावे।

**07.** बहस अन्तिम सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

**"क्या अभियुक्त ने दिनांक 09-07-2018 को समय सुबह करीब 5.00 बजे से 6.30 बजे के मध्य किसी समय सरहद सांडेराव में परिवादी प्रहलादसिंह के कब्जाशुदा, निर्माणशुदा चबूतरे पर कब्जा करने की नियत से अपने मकान के पीछे की तरफ बिना अधिकार के दरवाजा खोल आपराधिक अतिचार कारित किया व परिवादी प्रहलादसिंह के साथ धक्का-मुक्की कर व हाथ की कलाई पर लाठी से मारकर उसे साधारण उपहतियां कारित की।**

**"यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा" ?**

**08.** पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का समग्र रूप से अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किया जाए तो यह दर्शित है कि अभियोजन की ओर से कुल 08 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिसमें से प्रकरण के परिवादी प्रहलादसिंह को बतौर पी.ड. 05 न्यायालय के समक्ष किया गया है। उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथन किए कि दिनांक 07-07-2018 को दुजाना गांव में उसके मकान के सामने उत्तमसिंह व उसकी पत्नी ने उसके साथ धक्का-मुक्की की और उसे चोट पहुंचाई व जबरदस्ती दरवाजा खोला, उसकी पत्नी ने उसे छुड़वाया था, उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर है, उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा-मौका प्रदर्श पी 01 पर भी उसके हस्ताक्षर है। गवाह की जिरह का अवलोकन करें तो गवाह ने जिरह में कथन किए कि उत्तम सिंह परिवार में उसका भाई लगता है। चबूतरे को बचाने को लेकर विवाद हुआ था व चबूतरे पर गया, तब लड़ाई हुई थी, उसने उत्तम सिंह के साथ मारपीट नहीं की। प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर उसने मौके पर किए या थाने में किए, उसे याद नहीं। कबूतर चबूतरे पर लड़ाई हुई थी, जो की सार्वजनिक है। उक्त गवाह

जो की प्रकरण का परिवादी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में उसके साथ अभियुक्त द्वारा धक्का-मुक्की करने के, उसे चोट पहुंचाने के एवं उसके चबूतरे पर जबरदस्ती दरवाजा खोले जाने के कथन किए हैं, वहीं गवाह की जिरह से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष दर्शित है कि विवादग्रस्त चबूतरा सार्वजनिक था। तात्पर्यित उक्त चबूतरे पर प्रहलादसिंह का एकल रूप से कब्जा नहीं था। उक्त गवाह ने चबूतरे का पट्टा बनवाने एवं आवेदन शुल्क की रसीद बाबत कथन अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करवाए हैं, परंतु उक्त गवाह द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विवादग्रस्त चबूतरे पर उसका कब्जा हो, ऐसे में प्रहलादसिंह की साक्ष्य से ही अभियुक्त के विरुद्ध धारा 447 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं होता क्योंकि धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अपराध के गठन हेतु यह आवश्यक तत्व है कि किसी के कब्जेशुदा परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया जाए। हस्तगत प्रकरण में चूंकि उक्त चबूतरा परिवादी का एकल मात्र कब्जेशुदा चबूतरा हो, यह तथ्य ही प्रमाणित नहीं है, ऐसे में प्रवेश करने का तथ्य प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में सुसंगत नहीं रह जाता। प्रकरण में जहां तक धारा 323 भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है तो उसके संबंध में प्रहलादसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किए कि उत्तम सिंह व उसकी पत्नी ने उसके साथ धक्का-मुक्की कर उसे चोट पहुंचाई, वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में गवाह ने यह कथन अंकित करवाए हैं कि उसके साथ अभियुक्त द्वारा धक्का-मुक्की कर उसके दाहिने हाथ पर लकड़ी की मारी, जिससे प्रार्थी के दाहिने हाथ पर व कलाई पर चोटें आई। गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किए की उसके चोट लगी, तब खून आया था, वहीं गवाह के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 का अवलोकन करें, जिस पर डॉ. पवन कुमार ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त चोट प्रतिवेदन में प्रहलादसिंह के दर्द की शिकायत होना ही अंकित है। उक्त चोट प्रतिवेदन घटना के लगभग 11 दिन पश्चात मुर्तिब हुआ है, परंतु यदि प्रहलादसिंह को चोटें कारित हुई होती और उसकी साक्ष्य अनुसार उसे खून आया होता तो अवश्य ही चोट प्रतिवेदन मुर्तिब किए जाने की दिनांक को

उसके घाव का निशान होता, जिस बाबत चोट प्रतिवेदन में अंकन भी किया जाता, परंतु चोट प्रतिवेदन में ऐसा कोई घाव का निशान परिवादी के हाथ पर हो, कहीं अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त चोट प्रतिवेदन में घुटने पर एवं दाएं हाथ के अंगूठे पर चोट आना बताया है, वहीं परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके हाथ के अतिरिक्त कहीं भी चोट आना वर्णित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने हाथ पर एवं कलाई पर चोट आना बताया है, परंतु चोट प्रतिवेदन में कलाई पर चोट आना अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323 भारतीय दंड संहिता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है, जिससे अभियोजन कहानी संदेह के घेरे में आ जाती है।

**09.** प्रकरण की अन्य गवाह पी.ड. 03 पारस कंवर जो की प्रहलादसिंह की पत्नी है, उक्त गवाह ने यद्यपि यह कथन किए हैं कि वह मारपीट के समय मौके पर खड़ी थी एवं मारपीट लाठी से की थी, वहीं स्वयं प्रहलादसिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में लाठी से मारपीट किए जाने के तथ्य ही अभिकथित नहीं किए हैं तथा धक्का-धूम किए जाने के कथन किए हैं। ऐसे में पारस कंवर एवं प्रहलादसिंह की साक्ष्य की आपस में पुष्टि नहीं होने से एवं प्रहलादसिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं करने से प्रकरण में धारा 323 भारतीय दंड संहिता के संबंध भी संदेह उत्पन्न होता है कि क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी प्रहलादसिंह के साथ मारपीट की गई थी।

**10.** प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 02 धन्नाराम को प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 02 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिए जाने के कथन किए। उक्त गवाह ने घटना के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं दी है। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है।

**11.** प्रकरण में यद्यपि गवाह का चोट प्रतिवेदन मुर्तिब हुआ है तथा पी.ड. 06 डॉ. श्याम बिहारी शर्मा द्वारा परिवादी का एक्सरे भी किया गया है तथा पी.ड. 08 डॉ. पवन कुमार द्वारा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04

में अंकित अनुसार परिवादी को दर्द की शिकायत होना बताया है, परंतु स्वयं परिवादी की साक्ष्य उसके साथ हुई घटना के संबंध में संदेहास्पद है। ऐसे में श्याम बिहारी शर्मा एवं डॉ.पवन कुमार द्वारा चोट प्रतिवेदन एवं एक्सरे की पुष्टि करने से भी यह प्रमाणित नहीं होता कि परिवादी को यदि कोई चोट कारित हुई तो ऐसी चोट अभियुक्त के कारण कारित हुई हो। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

**12.** प्रकरण में चूंकि प्रहलादसिंह की साक्ष्य ही अभियुक्त के विरुद्ध धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अपराध को प्रमाणित करने में विफल रही है तथा प्रहलादसिंह एवं पारस की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अपराध को प्रमाणित करने में विफल रही है। ऐसे में पी.ड. 01 अशोक कुमार व पी.ड. 04 भंवरसिंह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य रहने से उक्त दोनों की साक्ष्य साक्ष्यों के विवेचन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

**13.** प्रकरण में परीक्षित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 07 मूलाराम ने अपने अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 447 व 323 भारतीय दंड संहिता को प्रमाणित माना है, परंतु अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ने जिन गवाहन की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित माना, उक्त समस्त गवाहन की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में विफल रही है।

**14.** दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपनी कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करनी होती है, यदि अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09-07-2018 को समय सुबह करीब 5.00 बजे से 6.30 बजे के मध्य किसी समय सरहद सांडेराव में परिवादी प्रहलादसिंह के कब्जाशुदा,

निर्माणशुदा चबूतरे पर कब्जा करने की नियत से अपने मकान के पीछे की तरफ बिना अधिकार के दरवाजा खोल आपराधिक अतिचार कारित किया व परिवादी प्रहलादसिंह के साथ धक्का-मुक्की कर व हाथ की कलाई पर लाठी से मारकर उसे साधारण उपहतियां कारित की।

**15.** अतः हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 447 व 323 भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**-आदेश-**

**16.** परिणामतः अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र नारायण सिंह, निवासी दुजाना, सांडेराव, जिला पाली को अपराध अंतर्गत धारा 447 व 323 भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

**17.** अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत 10 हजार रूपये की राशि की जमानत व इसी राशि के मुचलके माननीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु पेश करे। अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निर्णय की दिनांक से 06 माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

**18.** अभियुक्त के पत्रावली पर उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

**19.** निर्णय आज दिनांक 06.08.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.11 17:11:48 IST